आवश्यक

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2011/2922 दिनांक :24 अक्टूबर, 2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री पी0 एल0 मेमोरियल डिग्री कालेज,
बाराबंकी।

विषय महाविद्यालय में परास्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत एम0एड0 पाठ्यक्रम में कक्षा संचालन हेतु सम्बद्धता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : सम्ब0 2231/सत्तर–6–2010–2(84)/2010 दिनांक 30 जुलाई, 2010 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के अधीन श्री0 पी0 एल0 मेमोरियल डिग्री कालेज, बाराबंकी को परास्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत एम0एड0 पाठ्यक्रम मे 25 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2009–10 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप एवं सामूहिक नकल में आरोपित न होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2010 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन से डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

2. संस्था शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसगत दिशानिर्देशो एव इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा एमएड0 पाठयक्रम मे शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसगत एव अद्यतन शासनादेशो के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र मे होने वाली विश्वविद्यालयीय प्रवेश परीक्षा मे सम्मिलित एव काउसलिग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार शैक्षिक दिवसों मे पठन–पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो एव निर्देशो का अनुपालन करेगी। यह सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुमोदन के अधीन है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नही किया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त
प्रतिलिपि

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या सम्ब0 2231/सत्तर–6–2010–2(84)/2010 दिनांक 30 जुलाई, 2010 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
2. निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव